20/9 पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी हाजिर।
अधि. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र को नोट प्रेस में खारिज करने बाबत पत्रावली में नोटेड किया। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को अधि. प्रार्थी द्वारा नोटेड करने के आधार पर नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

Not Press at this stage
20.9.024

उपखण्ड अधिकारी, सीकर